नकल हुक्म की जारी हुई

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **87 / 2024** — अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह जाति राजपुत, निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. लहरकंवर पत्नी देवीसिंह 2. उदयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 3. जयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 5. हीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 6. मेगसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत, निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 8. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.02.2026

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि मौजा धीरजी की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 147.17 बीघा भूमि की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी में वादीनी द्वारा पूर्व खातेदार देवीसिंह पुत्र भंवरसिह के 1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि क्रय की गई है। उक्त मूल खसरा नम्बर 271 में हवाकंवर पत्नी तेजसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने पर नये खसरा नम्बर 521/271, 271 व 522/271 पृथक से कायम किये गये। वादीनी का वक्त क्रय से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। कुछ अरसा पूर्व राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीगेशन राजस्व रेकार्ड ऑनलाईन करते समय वादीनी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की भूमि का राजस्व रेकर्ड में बराबर हिस्सा अंकित कर दिया गया जबकि वादीनी के हिस्से में 36.19 बीघा भूमि आती है तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 के हिस्सा में केवल 11.09 बीघा भूमि आती है। शेष प्रतिवादीगण के हिस्सा में कोई अंतर नही है। वर्तमान में जब वादीनी को उक्त गलत हिस्सा दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने पर वादीनी द्वारा अपने खातेदारी हिस्सा की सही घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादीनी का गलत हिस्सा दर्ज होने से वादीनी सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यों से वंचित रह जाती है। अतः उक्त विवादित खातेदारी में वादीनी द्वारा स्वयं के खातेदारी हिस्सा को सही घोषित करवाने की अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार शिव से उक्त विवादित आराजी के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा धीरजी की ढाणी के नामांतरकरण संख्या 302 में जरिये बेचान खसरा नम्बर 271 में से देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 36.19 बीघा की भूमि हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह को बेचान की गई तथा नामांतरकरण संख्या 330 में जरिये बेचान खसरा नम्बर 271 में से बेचान जोगसिंह पुत्र नखतसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से हवाकंवर पत्नी तेजसिंह को 07.01 बीघा तथा लहरकंवर पत्नी देवीसिंह को 11.09 बीघा भूमि बैचान की गई। नामांतरकरण संख्या 532 द्वारा उक्त मूल खसरा का विभाजन होने से नवीन खसरा नम्बर 271 रकबा 73.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 522/271 रकयबा 48.08 बीघा का अंकन किया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम धीरजी की ढाणी के खसरा नम्बर 271, 522/271 में खातेदारान् लहरकंवर पत्नी देवीसिंह का हिस्सा 484/2447 व हरूकंवर पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.23 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

खुमाणसिंह का हिस्सा 484/2447 दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड की जांच करने पर लहरकंवर पत्नी देवीसिंह का सही हिस्सा 229/2447 व हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह का सही हिस्सा 739/2447 होना पाया गया। चूंकि पूर्व में वादीनी की ओर से वाद में घोषणा के साथ साथ भूमि विभाजन का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु बाद में वादीनी अधिवक्ता द्वारा विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 को तर्क कर दिया गया। वादीनी द्वारा स्वयं एवं स्वतंत्र गवाह गोपालसिंह द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये। वादीनी की ओर से द्वारा साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, नामांतरकरण व बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र अनुसार वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर एवं तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीनी के सही खातेदारी हिस्सा की घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर वादीनी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में दर्ज उनके गलत खातेदारी हिस्सा को निरस्त किया जाकर सही खातेदारी हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा धीरजी की ढाणी के नामांतरकरण संख्या 302 में जरिये बेचान खसरा नम्बर 271 में से बेचानकर्ता देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 36.19 बीघा की भूमि हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह को बैचान की गई तथा नामांतरकरण संख्या 330 में जरिये बेचान खसरा नम्बर 271 में से बेचानकर्ता जैसिंह पुत्र नखतसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से हवाकंवर पत्नी तेजसिंह को 07.01 बीघा तथा लहरकंवर पत्नी देवीसिंह को 11.09 बीघा भूमि बैचान की गई। नामांतरकरण संख्या 532 द्वारा उक्त मूल खसरा का विभाजन होने से नवीन खसरा नम्बर 271 रकबा 73.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 522/271 रकयबा 48.08 बीघा का अंकन किया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम धीरजी की ढाणी के खसरा नम्बर 271, 522/271 में खातेदारान् लहरकंवर पत्नी देवीसिंह का हिस्सा 484/2447 व हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह का हिस्सा 484/2447 दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड की जांच करने पर लहरकंवर पत्नी देवीसिंह का सही हिस्सा 229/2447 व हरूकंवर पत्नी खुमाणसिंह का सही हिस्सा 739/2447 होना पाया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः वादग्रस्त आराजी वादीनी की कयशुदा भूमि होने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीनी का सही खातेदारी हिस्सा नहीं होने पर वादीनी अपने सही खातेदारी हिस्सा की घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी होने से विवादित आराजी में वादीनी का सही खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धीरजी की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 271, 522/271 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीनी व प्रतिवादीनी संख्या 1 के खातेदारी हिस्सा को निरस्त किया जाकर वादीनी का 739/2447 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 का 229/2447 खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.23 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को सार्वजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव (SDO) बाड़मेर